

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

(आयकर)

का.आ. 1435(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 120 की उप-धारा (1), (2), तथा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा, निर्देश देता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (जिसे बाद में आर ई एफ ए सीएस के रूप में संदर्भित किया गया) के आयकर प्राधिकारी जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर हैं, भारत के भूभाग में सभी व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग, अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 144(ख) के अंतर्गत पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए समवर्ती रूप से निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों का निष्पादन करेंगे जिसमें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग – II, खंड – 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2814 (अ) वाली अधिसूचना संख्या 57/2014 अथवा भारत के राजपत्र असाधारण भाग – II खंड – 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2915 (अ) वाली अधिसूचना संख्या 70/2014 द्वारा आच्छादित व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग शामिल नहीं हैं :-

